न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, शिकोहाबाद फिरोजाबाद।

उपस्थितः निशान्त देव (उ०प्र० न्यायिक सेवा)

दाण्डिक वाद सं०–1559/2012

राज्य .....अभियोगी

बनाम

मुन्नालाल लोधे पुत्र श्री देवीराम, निवासी परियर की ठार, थाना नगला खंगर, जिला फिरोजाबाद। .....**अभियुक्त**

अन्तर्गत धारा–25 आयुध अधिनियम,
थाना–नगला खंगर, जिला फिरोजाबाद।
मुकदमा अपराध सं०–२१/२००२

निणर्य

यह पुलिस चालानी केस पुलिस थाना नगला खंगर, जनपद फिरोजाबाद द्वारा अभियुक्त मुन्नालाल लोधे के विरूद्ध मुकदमा अपराध संख्या–२१/२००२, धारा 25 आयुध अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत आरोपपत्र के आधार पर विचारण हेतु संस्थित किया गया है।

संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी मुकदमा एच.सी.पी. श्री अमर सिह द्वारा थाना सिरसागंज पर दिनांक १०–०१–२००२ को समय २०.२० बजे इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित करायी कि दिनांक २८–०३–२००२ को वादी एच.सी.पी. श्री अमर सिंह वर्मा व आरक्षीगण देवी सिंह, कुँवर पाल सिंह व संजय कुमार के साथ तलाश वांछित अपराधी व स्कीम नम्बर–५ के तहत चेकिंग वाहन व रोड होल्डअप में वीरई पुलिया बम्बा पर मामूर थे तभी एक व्यक्ति पूरब दिशा की तरफ से बम्बा की पटरी पर नगला दली की तरफ से पुलिया के पास जैसे ही आया तो वह पुलिस वालों को देखकर एकदम पीछे मुड़कर भागने लगा कि बदमाश का शक होने पर उक्त पुलिस वालों ने उसे घेर कर बम्बा की पुलिस से करीब २० कदम की दूरी पर समय करीब १८.३५ बजे पकड़ लिया। पकड़े गये व्यक्ति से उसका नाम पता पूछते हुए उसकी जामा तलाशी ली गयी तो उसने अपना नाम मुन्नालाल लोधे पुत्र श्री देवीराम निवासी परियर की ठार, थाना नगला खंगर जिला फिरोजाबाद बताया। उसकी जामा तलाशी से उसके कब्जे से पहने हुए पायजामा की दाहिनी फैट से एक देशी तमंचा ३१५ बोर व कुर्ते की बांयी जेब से ३ अदद कारतूस जिन्दा ३१५ बोर के बरामद हुए। उक्त बरामद शुदा तमंचा व कारतूसों के बारे में अभियुक्त से लाइसेंस तलब किया गया तो वह दिखाने से कासिर रहा। अभियुक्त को कारण गिरफतारी बताकर उसे हिरासत में लिया गया। अभियुक्त से बरामद तमंचा व कारतूसों को नियमानुसार कब्जा पुलिस में लेकर एक कपड़े में रखकर सील कर सर्व मोहर किया गया तथा नमूना मोहर बनाया गया। फर्द मौके पर टार्च की रोशनी में लिखकर लिख कर हमराही कर्मचारीगण को पढ़कर सुनाकर उनके हस्ताक्षर बनवाये गये।

उक्त फर्द बरामदगी के आधार पर सम्बन्धित थाने पर मुकदमा पंजीकृत कराया गया तथा चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट किता की गयी तथा मुकदमा कायमी का इन्द्राज उसी दिन जी०डी० में किया गया।

विवेचनाधिकारी द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण कर नक्शा नजरी तैयार किया गया तथा गवाहों के बयान लिये गये तथा बाद विवेचना, विवेचक द्वारा अभियुक्त मुन्नालाल लोधे के विरूद्ध धारा 25 आयुध अधिनियम का अपराध बनना पाते हुए आरोपपत्र न्यायालय को प्रेषित किया गया।

अभियुक्त के उपस्थित आने पर उसे धारा 207 दं०प्र०सं० के अनुपालन में आवश्यक पुलिस प्रपत्रों की नकलें प्रदान की गयीं।

अभियुक्त मुन्नालाल लोधे न्यायालय में उपस्थित आया। अभियुक्त पर दिनांक 30–07–2007 को विद्वान पूर्वाधिकारी द्वारा धारा 25 आयुध अधिनियम का आरोप विरचित किया गया, जिससे उसने इन्कार किया तथा विचारण की मांग की।

अभियुक्त पर आरोप विरचित किये जाने के उपरान्त पत्रावली साक्ष्य हेतु नियत की गयी। किन्तु इतने लम्बे समय के उपरान्त आज तक अभियोजन की ओर से किसी भी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया। न्यायालय द्वारा कई बार गवाहान के विरूद्ध बिना जमानतीय वारण्ट भी जारी किये गये। किन्तु इसके बावजूद भी अभियोजन की ओर से किसी भी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया। न्यायालय द्वारा अभियोजन को साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु अन्तिम अवसर भी प्रदान किया गया। किन्तु अभियोजनपक्ष किसी भी साक्षी को न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं करा सका। प्रकरण वर्ष 2002 का है तथा काफी प्राचीन है, तद्नुसार अभियोजन को पर्याप्त अवसर दिये जाने के पश्चात साक्ष्य का अवसर समाप्त किया गया।

अभियुक्त मुन्नालाल लोधे का बयान अन्तर्गत धारा 313 दं०प्र०सं० अंकित किया गया, जिसमें उसने कथित घटना को गलत बताया तथा मुकदमा रंजिशन झूंठा चलना कहा तथा सफाई साक्ष्य प्रस्तुत करने से इन्कार किया।

मैने सहायक अभियोजन अधिकारी व अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता की बहस को विस्तार से सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अभियुक्त पर दिनांक 30–07–2007 को आरोप विरचित किया गया। किन्तु इतना लम्बा समय बीत जाने के उपरान्त आज तक अभियोजन की ओर से किसी भी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया। न्यायालय द्वारा कई बार गवाहान के विरूद्ध बिना जमानतीय वारण्ट भी जारी किये गये। किन्तु इसके बावजूद भी अभियोजन की ओर से किसी भी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया। न्यायालय द्वारा अभियोजन को साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु अन्तिम अवसर भी प्रदान किया गया। परन्तु अभियोजनपक्ष किसी भी साक्षी को न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं करा सका। प्रकरण वर्ष २००२ का है तथा काफी प्राचीन है।

अतः उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अभियोजन पक्ष को पर्याप्त अवसर साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु न्यायालय द्वारा दिया गया। परन्तु आज तक अभियोजनपक्ष किसी भी साक्षी को न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं करा सका। जब कि इस घटना के सभी साक्षीगण पुलिस कर्मचारीगण है। अतः उपरोक्त परिस्थितियों में अभियुक्त मुन्नालाल लोधे धारा २५ आयुद्ध अधिनियम के आरोप से साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्त मुन्नालाल लोधे को धारा २५ आयुद्ध अधिनियम के आरोप से साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त किया जाता है। अभियुक्त जमानत पर है, उसके व्यक्तिगत बन्धपत्र निरस्त निरस्त करते हुए जमानतदारों को जमानत के दायित्व से उन्मोचित किया जाता है।

अभियुक्त द्वारा धारा 437 ए दं०प्र०सं० के अनुपालन में 20,000/– (बीस हजार) रूपये का व्यक्तिगत बन्धपत्र व इतनी ही धनराशि के एक एक प्रतिभू दाखिल करें।

दिनाँकः 31–05–2016

(निशान्त देव)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
शिकोहाबाद, फिरोजाबाद।

यह निर्णय मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित किया जाकर आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

दिनाँकः 31–05–2016

(निशान्त देव)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
शिकोहाबाद, फिरोजाबाद।